राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 82/2023

प्रार्थी

1. राणसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चन्दनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत
2. आदूराम पुत्र खरताराम
3. झमकू पत्नी भीखाराम
4. भूराराम पुत्र तुलछाराम
5. मूलाराम पुत्र तुलछाराम जातियान मेघवाल निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान
6. कमला पत्नी बाबूलाल
7. कृष्णकुमार पुत्र बाबूलाल नाबालिक जरिये वली माता कमला पत्नी बाबूलाल
8. दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल नाबालिक जरिये वली माता कमला पत्नी बाबूलाल
9. काली पत्नी हरदानराम
10. गोरधनराम पुत्र कानाराम
11. लाधुराम पुत्र कानाराम जातियान विश्नोई निवासी चिमड़ावास तहसील चितलवाना जिला जालौर राजस्थान
12. गंगाराम पुत्र धर्माराम
13. भागीरथराम पुपत्र धर्माराम
14. मेहनलाल पुत्र हरदानराम
15. शंकराराम पुत्र धर्माराम
16. शंकराराम पुत्र कानाराम
17. हरीगाराम पुत्र चिमाराम
18. जुंजाराम पुत्र ठाकराराम
19. माडू पत्नी पेमाराम
20. हनुमानराम पुत्र ठाकराराम
21. सदराम पुत्र पेमाराम
22. जयकिशन पुत्र विरमाराम जातियान विश्नोई निवासी सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान
23. बाबा रामदेव मन्दिर सेवा संस्थान सुदाबेरी खुर्द जरिये अध्यक्ष करणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान
24. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
25. शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
26. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टैट बैंक शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
27. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टैट बैंक शाखा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
28. तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 21·06·23

अधिवक्तागण :– 1. श्री रामनिवास विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 27·10·23

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 167/60 व 60 रकबा क्रमशः 2.7680 हैक्टेयर व 17.9680 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, बा.सोयम कुल रकबा 20.7360 हैक्टैयर मौजा सुदाबेरी खुर्द पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थी की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थी की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थी अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहा है, इसलिए प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2023 को करवाया गया था, परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार हूँ। विवादित खेत मौजा सुदाबेरी खुर्द पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 27 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाए [illegible] की डाक रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस [illegible] गए [illegible] माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 06.09.2023 को विप्रार्थीगण [illegible]जा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाई के आदेश दिए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को विस्तारपूर्वक सुन[illegible]था प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी खसरा संख्या 167/60 व 60 रकबा क्रमशः 2.7680 हैक्टेयर व 17.9680 हैक्टैयर किस्म बा.सोयम, बा.सोयम

कुल रकबा 20.7360 हैक्टैयर की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 167/60 व 60 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 167/60 व 60 रकबा क्रमशः 2.7680 हैक्टेयर व 17.9680 हैक्टैयर किस्म बा. सोयम, बा.सोयम कुल रकबा 20.7360 हैक्टैयर की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 भली—भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071—2074 के खाता संख्या 58 के खसरा संख्या 167/60 व 60 रकबा क्रमशः 2.7680 हैक्टेयर व 17.9680 हैक्टैयर किस्म बा. सोयम, बा.सोयम कुल रकबा 20.7360 हैक्टैयर का राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे—खर्चे से उसके खसरा संख्या 167/60 व 60 रकबा क्रमशः 2.7680 हैक्टेयर व 17.9680 हैक्टैयर किस्म बा.सोयम, बा.सोयम कुल रकबा 20.7360 हैक्टैयर के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा—विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

27.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27/10/23 को खुले इजलास सुनाया गया।

27.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू—अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना